न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0–1, नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी –: **कुमकुम,**
R.J.S.(DJ Cadre)

विविध दीवानी (एन) CIS प्रकरण संख्या –: 31/2026

लक्ष्मी देवी पुत्र सुखदेव निवासी गुड़िया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–––प्रार्थी

बनाम

1. हर आम व खास
2. भारतीय स्टेट बैंक शाखा फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा **372** उत्तराधिकार अधिनियम

उपस्थिति :–

01. श्री विजय कुमार स्वामी, अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से।
02. अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है।
03. हर आम व खास की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

–: निर्णय :–

दिनांक –: 16–06–2026

01. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–372 उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत सुखदेव के विधिक उत्तराधिकारी की हैसियत से अप्रार्थीगण हर आम व खास आदि के विरूद्ध दिनांक 23–01–2026 को प्रस्तुत किए जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसका एतद् द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्राथी के पिता सुखदेव की मृत्यु दिनांक 02–06–2017 को हो चुकी है। मृतक सुखदेव की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी अकेली ही उसकी प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी हैं। मृतक सुखदेव की मृत्यु के पश्चात् उसकी समस्त सम्पति प्रार्थी को न्यागत हो चुकी है। प्रार्थी की माता ने वर्ष 1986 में उसके पिता से तलाक ले लिया था और उसके बाद उसकी माता ने दिनांक 15–05–1993 में अपनी स्वेच्छा से बालचंद पुत्र गुगनराम निवासी लोहसाना से पुनर्विवाह कर लिया। मृतक सुखदेव राजस्थान पुलिस में चालक के पद पर कार्यरत था और रिटायर्ड होने पर उसे जो रूपये प्राप्त हुए वो रूपये उसने भारतीय स्टेट बैंक शाखा फेफाना में अपने बचत खाता संख्या 51083339377 में जमा करवाए थे और उक्त बचत खाता में नोमिनी कोई नहीं है। उक्त खाता में करीबन 1,43,199.82/– रूपये व उक्त बैंक में ही एक एफडीआर 61156561850 जारी करवाई गई है जिसमें भी नोमिनी नहीं भरा हुआ जो 7,34,921/– रूपये की है, जिनको अप्रार्थी सं. 2 बैंक ने प्रार्थी को देने से इन्कार कर दिया और उक्त सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाने को कहा। मृतक सुखदेव द्वारा कोई

वसीयत नहीं की हुई है व प्रार्थी ही मृतक सुखदेव की प्रथम श्रेणी की विधिक उतराधिकारी होने के कारण अप्रार्थी सं. 2 की उक्त खाता में जमा उक्त राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं। अतः प्रार्थी को मृतक सुखदेव के विधिक उत्तराधिकारी घोषित कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

03. इस प्रार्थना–पत्र पर अप्रार्थीगण हर आम खास के नाम से नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी सं. 2 भारतीय स्टेट बैंक शाखा फेफाना पर सम्यक् रूप से तामील होने के बावजूद उपस्थित न होने व ना ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता के उपस्थित होने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हरआम खास की तामील नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। मृतक के अन्तिम निवास स्थान पर नोटिस की प्रति चस्पा की गई, एक प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई एवम् मृतक के निवास क्षेत्र में मुनियादी भी करवाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं आया। एक प्रति नोटिस मृतक के निवास क्षेत्र में परिचालित होने वाले हिन्दी भाषी समाचार पत्र तेज केसरी में साया करवाया गया।

04. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार से है –:

''आया प्रार्थी, मृतक सुखदेव के भारतीय स्टेट बैंक शाखा फेफाना के खाता संख्या 51083339377 में जमा करीबन 1,43,199.82/– रूपये व उक्त बैंक में ही जारी एफडीआर 61156561850 की राशि 7,34,921/– रूपये मय ब्याज प्राप्त करने के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की अधिकारी है ?''

05. उक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में ए0ड0 1 लक्ष्मी देवी को पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 आधार कार्ड लक्ष्मी देवी, प्रदर्श–2 मृत्यु प्रमाण पत्र सुखदेव, प्रदर्श–3 असल अखबार प्रति को प्रदर्शित करवाया।

06. बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवम् दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि प्राथी के पिता सुखदेव की मृत्यु दिनांक 02–06–2017 को हो चुकी है। मृतक सुखदेव की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी अकेली ही उसकी विधिक वारिस है व उसकी समस्त सम्पति प्रार्थी को न्यागत हो चुकी है। प्रार्थी की माता ने उसके पिता से तलाक ले लिया था और उसके बाद उसकी माता ने अपनी स्वेच्छा से पुनर्विवाह कर लिया। मृतक सुखदेव राजस्थान पुलिस में कार्यरत था और रिटायर्ड होने पर उसे जो रूपये प्राप्त हुए वो उसने भारतीय स्टेट बैंक शाखा फेफाना में अपने बचत खाता संख्या 51083339377 में जमा करवाए थे और उक्त बचत खाता में नोमिनी कोई नहीं है। उक्त खाता में करीबन 1,43,199.82/– रूपये व उक्त बैंक में ही एक एफडीआर 61156561850 जारी करवाई गई है जिसमें भी नोमिनी नहीं भरा हुआ जो 7,34,921/– रूपये की है, जिनको अप्रार्थी सं. 2 बैंक ने प्रार्थी को देने से

इन्कार कर दिया और उक्त सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाने को कहा। मृतक सुखदेव द्वारा कोई वसीयत नहीं की हुई है व प्रार्थी ही मृतक सुखदेव की प्रथम श्रेणी की विधिक उतराधिकारी होने के कारण अप्रार्थी सं. 2 की उक्त खाता में जमा उक्त राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं। किसी भी व्यक्ति ने प्रार्थी के आवेदन का विरोध नहीं किया है। अतः प्रार्थी को मृतक सुखदेव की विधिक उत्तराधिकारी घोषित कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

07. प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने का भार प्रार्थी पर था, जिसके तहत प्रार्थी को यह साबित करना था कि प्रार्थी, मृतक सुखदेव के भारतीय स्टेट बैंक शाखा पल्लू तहसील रावतसर के खाता में जमा राशि प्राप्त करने के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की अधिकारी है। इस सम्बन्ध में गवाह ए0ड0 1 लक्ष्मी देवी ने जरिए शपथ–पत्र सशपथ कथन किए हैं कि उसके पिता सुखदेव की मृत्यु दिनांक 02–06–2017 को हो चुकी है। मृतक सुखदेव की मृत्यु के पश्चात् वह अकेली ही उसकी विधिक वारिस है व मृतक की समस्त सम्पति उसको न्यागत हो चुकी है। प्रार्थी की माता ने उसके पिता से तलाक ले लिया था और उसके बाद उसकी माता ने अपनी स्वेच्छा से पुनर्विवाह कर लिया। मृतक सुखदेव राजस्थान पुलिस में कार्यरत था और रिटायर्ड होने पर उसे जो रूपये प्राप्त हुए वो उसने भारतीय स्टेट बैंक शाखा फेफाना में अपने बचत खाता संख्या 51083339377 में जमा करवाए थे और उक्त बचत खाता में नोमिनी कोई नहीं है। उक्त खाता में करीबन 1,43,199.82/– रूपये व उक्त बैंक में ही एक एफडीआर 61156561850 जारी करवाई गई है जिसमें भी नोमिनी नहीं भरा हुआ जो 7,34,921/– रूपये की है, जिनको अप्रार्थी सं. 2 बैंक ने प्रार्थी को देने से इन्कार कर दिया और उक्त सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाने को कहा। मृतक सुखदेव द्वारा कोई वसीयत नहीं की हुई है व प्रार्थी ही मृतक सुखदेव की प्रथम श्रेणी की विधिक उतराधिकारी होने के कारण अप्रार्थी सं. 2 की उक्त खाता में जमा उक्त राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं। प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 आधार कार्ड लक्ष्मी देवी, प्रदर्श–2 मृत्यु प्रमाण पत्र सुखदेव, प्रदर्श–3 असल अखबार प्रति को प्रदर्शित करवाया।

08. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन अप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया है।

09. प्रार्थना पत्र के अनुसार मृतक सुखदेव के कुल 1 वारिस ही होना बताया गया है जो प्रार्थी के माता–पिता की तलाक याचिका व उसने अपने बयानों से साबित किया है, जिसका विरोध किसी के द्वारा नहीं किया गया है। सुखदेव की मृत्यु दिनांक 02–06–2017 को होने की पुष्टि उसके मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–2 से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध हर आम व खास को जारी किए गए नोटिस के सम्बन्ध में हर आम खास की तामील नोटिस बोर्ड

पर चस्पा की गई थी मृतक के अन्तिम निवास स्थान पर नोटिस की प्रति चस्पा की गई, एक प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई एवम् मृतक के अंतिम निवास क्षेत्र में मुनियादी भी करवाई गई, लेकिन प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के विरोध स्वरूप हर आम व खास तथा अप्रार्थी सं. 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आया है।

10. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी, मृतक सुखदेव के भारतीय स्टेट बैंक शाखा फेफाना के खाता संख्या 51083339377 में जमा करीबन 1,43,199.82/– रूपये व उक्त बैंक में ही जारी एफडीआर 61156561850 की राशि 7,34,921/– रूपये मय ब्याज प्राप्त करने के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की अधिकारी है। इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के अनुसार प्रार्थी विचारणीय बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रही है। अतः विचारणीय बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है। अतः प्रार्थी चाहा गया अनुतोष पाने की अधिकारी है।

–: आदेश :–

11. परिणामतः प्रार्थी लक्ष्मी देवी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 उत्तराधिकार अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी लक्ष्मी देवी मृतक सुखदेव के भारतीय स्टेट बैंक शाखा फेफाना के खाता संख्या 51083339377 में जमा करीबन 1,43,199.82/– रूपये व उक्त बैंक में ही जारी एफडीआर 61156561850 की राशि 7,34,921/– रूपये मय ब्याज व अन्य जमा राशि मय ब्याज प्राप्त करने के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करवाने की अधिकारी हैं। नियमानुसार न्याय–शुल्क प्रस्तुत करने पर उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जाए।

(कुमकुम)
अपर जिला न्यायाधीश सं0–1,
नोहर, जिला–हनुमानगढ़

12. निर्णय आज दिनांक 16–06–2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमकुम)
अपर जिला न्यायाधीश सं0–1,
नोहर, जिला–हनुमानगढ़